मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2013 को सम्पन्न उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की संचालन समिति की षष्ठम बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की पंचम बैठक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.10.2013 को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित सदस्यों/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1	श्री एस॰रामास्वामी, प्रमुख सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष
2	श्री एस॰रामास्वामी, प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
3	डॉ॰ आर॰बी॰एस॰ रावत, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड	सदस्य
4	श्री एस॰एस॰शर्मा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड	सदस्य
5	श्री राजेन्द्र कुमार, अ॰प्र॰व॰स॰/नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड	सदस्य
6	श्रीमती प्राची गंगवार, (अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय–मध्य क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि)	–
7	श्री सोबरन लाल, वन संरक्षक–वन पंचायत, कुमांऊ (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)	–
8	श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, उप निदेशक, सांख्यकी, (अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि)	–
9	सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा	सदस्य–सचिव

सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक आरम्भ की गई।

कार्यसूची 6.1: दिनांक 13.03.2013 को सम्पन्न हुई पंचम संचालन समिति की बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या :–

दिनांक 13.03.2013 को सम्पन्न हुई उत्तराखण्ड कैम्पा की पंचम बैठक में उभरे बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति के समक्ष किया गया। अनुपालन के निम्नांकित बिन्दुओं पर बिन्दुवार समिति द्वारा निम्नानुसार निर्देश/अनुमोदन प्रदान किए गए :–

1. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.1 पर वन विभाग स्तर पर कैम्पा निधि से क्रय किए गये फील्ड वाहनों पर Location tracking system लगाए जाने पर आने वाले व्यय भार के सापेक्ष उक्त व्यवस्था की उत्तराखण्ड के वन एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु कम आवश्यकता के मद्देनजर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा इसे न अपनाये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
2. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.2 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सभी वन प्रभागों में रेंज स्तर पर उत्तराखण्ड कैम्पा निधि हेतु खाते खोले जा चुके हैं।
3. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.3 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वर्तमान में CUG संयोजनों की संख्या 3000 की सीमा के अन्तर्गत केवल 2994 है।
4. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.4 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग–7 में यथा आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में वन विभाग स्तर पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, जिसकी प्रगति से संचालन समिति की अगली बैठक में सूचित किया जायेगा।

   (कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)
5. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.5 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में माह जून, 2012 तक के लेखा की प्रविष्टि Double entry accounting Software Tally में करवायी जा चुकी है। वर्ष

2012–13 के कार्यों की Tally Software में प्रविष्टि का कार्य दिनांक 21.10.2013 से प्रारम्भ किया जा रहा है। स्वीकृत APO की सीमा तक व्यय की प्रविष्टि सीमित करने हेतु Tally को customize कराने का कार्य भी प्रगति पर है।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

6. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.2.6 पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के वर्ष 2012–13 तक किये गये कैम्पा के अंतर्गत CA कार्यो के सापेक्ष Lat./long. की प्रविष्टियां 91.72 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्ष 2013–14 के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रविष्टियाँ की गयी हैं।
7. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.8 पर समिति द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुपालन में मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली, 2012 के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड को दिनांक 01.01.2013 को रू॰ 4.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।
8. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.9 पर वनाग्नि दुर्घटना रोकने हेतु अनुदान सं॰ 27 की वित्तीय स्वीकृति से प्रतिपूर्ति के सापेक्ष आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में प्रभागों को कैम्पा निधि से रू॰ 300.00 लाख की धनराशि उधार के रूप में देने के सम्बन्ध में विभाग को उक्त हेतु समयान्तर्गत शासन स्तर से धनराशि उपलब्ध हो जाने के क्रम में कोई मांग उत्तराखण्ड कैम्पा को उपलब्ध नहीं कराई गई।
9. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.10 पर समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में APO 2013–14 में वन रेंजों हेतु 60 फील्ड वाहन (30 जीप तथा 30 कैम्पर वाहन) क्रय की प्रक्रिया वन विभाग स्तर पर गतिमान है।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

10. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.11 पर प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड के द्वारा कैम्पा निधि का Performance Audit की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर वन विभाग से राज्य सरकार को reply भेजने के सम्बन्ध में समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में C & AG की ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट पर वन विभाग की ओर से राज्य सरकार को reply भेजने के उपरान्त राज्य सरकार स्तर से वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 के पत्रांक–715/x-2-2013-22(13) दिनांक 25.04.2013 के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड को उत्तर प्रेषित किया जा चुका है।
11. संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.13 पर लम्बित क्षतिपूरक वनीकरण (CA/Others (अन्य) के कार्यों को पूर्ण करने के समिति के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2009 तक वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष कुल 9399 है॰ क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण किए जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2012–13 तक 4282 है॰ क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा चुका है। वर्ष 2013–14 के वर्षाकाल में 2764 है॰ क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा आगामी वर्षाकाल हेतु 3020 है॰ क्षेत्र में अग्रिम मृदा कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2014 के वर्षाकाल तक वर्ष 2009 तक का क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(कार्यवाही : समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक एवं कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

संचालन समिति की पंचम बैठक की कार्यसूची सं॰ 5.13 के अनुपालन में ही वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वन भूमि हस्तान्तरण आदेश में निर्धारित Sites पर अन्य योजनाओं के अंतर्गत

वृक्षारोपण किए जाने/कतिपय कारणों से Sites उपलब्ध न होने के कारण नियत स्थलों को बदलने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय से समन्वयन करते हुए अध्ययन व फील्ड से सूचना एकत्रीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया है। उक्त अध्ययन व विश्लेषण के उपरान्त संचालन समिति के निर्देशों के क्रम में अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के स्तर से तद्नुसार भारत सरकार से स्थलों के परिवर्तन की अनुमति हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी जिसकी प्रगति से संचालन समिति की अगली बैठक में सूचित किया जायेगा।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा एवं समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

कार्यसूची 6.2: उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2013–14 के सापेक्ष प्रगति की अद्यावधिक स्थिति

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 के सापेक्ष क्रियान्वयन/प्रगति की उत्तराखण्ड कैम्पा के MIS से दिनांक 10.10.2013 को सृजित Hard Copy सदस्यगणों के संज्ञानार्थ प्रस्तुत की गई। वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त कार्यान्वयन अभिकरणों/वन प्रभागों को वर्तमान तक अवमुक्त धनराशि रू॰ 3574.98 लाख के सापेक्ष वित्तीय उपलब्धि रू॰ 1327.09 लाख (37.12%) है।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं के निर्देशों के क्रम में सम्बन्धित प्रभागों के स्तर से Micro Plan एवं DPR को तकनीकी रूप से सही बनाये जाने के उपरान्त सम्बन्धित वन प्रभागों को CAT Plans की धनराशि अवमुक्त की जानी है। माइक्रोप्लान एवं DPR बनाये जाने का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। इस क्रम में CAT Plans हेतु रु॰ 1770.00 लाख का प्राविधान संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 में रखा गया है।

समिति द्वारा क्रियान्वयन की धीमी प्रगति को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया गया कि वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 का समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय तथा कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभागों के स्तर पर कार्यो को गति प्रदान करने हेतु सक्षम स्तरों से समयबद्ध अनुश्रवण किया जाय।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

कार्यसूची 6.3: उत्तराखण्ड कैम्पा के वित्तीय वर्ष 2012–13 के कार्यो की आन्तरिक लेखा परीक्षा एवं वार्षिक लेखा परीक्षा की अद्यावधिक स्थिति

उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वर्ष 2012–13 में उत्तराखण्ड कैम्पा के सोसाइटी मोड की अवधि (दिनांक 01.04.2012 से 08.11.2012 तक) के कार्यो तथा उत्तराखण्ड कैम्पा के नोटिफिकेशन के पश्चात दिनांक 09.11.2012 से 31.03.2013 तक के कार्यो का पृथक–पृथक रूप में आन्तरिक एवं वार्षिक लेखा परीक्षा का कार्य CAG Empanelled CA Firms के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने के उपरान्त अनुमोदन हेतु उक्त अवधियों की बैलेन्स शीट सदस्यगणों के अनुमोदनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। समिति के संज्ञान में लाया गया कि उक्त अवधियों के उत्तराखण्ड कैम्पा के आयकर रिटर्न आयकर विभाग में दाखिल किए जा चुके हैं।

समिति द्वारा उपरोक्त बैलेन्स शीट्स का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय स्तर से CA फर्मों के माध्यम से कराई गई लेखा परीक्षा में तथा CAG के स्तर से कैम्पा निधि के कार्यों की लेखा परीक्षा में उभरे बिन्दुओं के निस्तारण हेतु कार्यकारी समिति द्वारा सुझाव दिया गया है कि कार्यालय स्तर पर ऑडिट को–ऑर्डिनेटर रखा जाना चाहिए। इस क्रम में ऑडिट को–ऑर्डिनेटर द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों की सूची अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा कैम्पा कार्यालय स्तर पर नियमानुसार ऑडिट को–ऑर्डिनेटर को रखे जाने हेतु पद सृजन का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची 6.4:</u> स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना (APO) 2013–14 के संशोधन का अनुमोदन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2013–14 हेतु रू. 8940.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना दिनांक 13.03.2013 को संचालन समिति द्वारा स्वीकृत की गई।

भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा के 10 वर्षीय प्रोजेक्ट में प्राविधानित माह नवम्बर, 2009 तक वन भूमि हस्तान्तरण के सापेक्ष निर्धारित स्थल विशिष्ट के क्षतिपूरक वनीकरण को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाना है। इस आलोक में सम्बन्धित जोन स्तरों से वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना के संशोधित प्रस्ताव मांगे गये।

उपरोक्त के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल के स्तर से प्रेषित संशोधित APO 2013–14 में गढ़वाल वृत्त के APO में निर्धारित लक्ष्य से अधिक की धनराशि प्रस्तावित की गई जिसमें क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रू. 732.12 लाख की धनराशि को संशोधित APO में इस शर्त के साथ शामिल किया गया है कि माह नवम्बर, 2009 तक के प्रकरणों के सापेक्ष ही धनराशि कैम्पा कार्यालय से अवमुक्त की जाएगी। Others घटक के अंतर्गत रुद्रप्रयाग वन प्रभाग हेतु रू. 1387.00 लाख की प्रस्तावित धनराशि को माह नवम्बर, 2009 तक के प्रकरणों के सापेक्ष कार्य करने के आलोक में परीक्षण करने हेतु मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल को लिखा गया है। उनके परीक्षण उपरान्त औचित्यपूर्ण पाए जाने पर उक्त को तद्नुसार आगामी APO 2014-15 में शामिल किया जाएगा। अतः पूर्व स्वीकृत रू. 1.65 लाख को ही Others घटक में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग हेतु संशोधित APO 2013–14 में समिति द्वारा स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व वन संरक्षक–गढ़वाल वृत्त)

उपरोक्तानुसार जोन स्तरों से प्राप्त रू. 10640.00 लाख की संकलित संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 का राज्य स्तरीय सारांश कार्यसूची में तथा उक्त का प्रभागवार व कार्यमदवार break-up पृथक से समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। संशोधित वार्षिक कार्ययोजना 2013–14 का घटकवार सारांश निम्नानुसार है :–

1. NPV	2. क्षतिपूरक वनीकरण (CA)	3. संरक्षित क्षेत्र (PA)	4. "Others"	5. CAT Plan	योग
5720.00	2070.00	140.00	940.00	1770.00	**10640.00**

उपरोक्त संशोधित APO में निम्नांकित कार्यों को प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा के अनुमोदन उपरान्त शामिल किया गया:–

प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के स्तर से सम्पादित किये जाने हेतु :–

1. International Event: Asia Pacific Workshop on "Forest Hydrology" 23-25 Sept, 2013 हेतु रू. 2.00 लाख।
2. National Conference on "Contemporary Inclination of Climate Change and Conservation of Biodiversity हेतु रू. 1.00 लाख।

3. वन विश्राम भवन की कॉफी टेबिल बुक हेतु रु॰ 11.00 लाख।
4. गणतन्त्र दिवस पर वन विभाग के स्टॉल पर हुए व्यय के भुगतान हेतु रु॰ 14.71 लाख।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के निर्देशन में प्रचार–प्रसार एवं Study के कार्यों हेतु क्रमशः रु॰ 10.00 लाख एवं रु॰ 10.00 लाख।

(कार्यवाही : प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

6. उप निदेशक–नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क के स्तर से गम्फूधार में प्रस्तावित हाई एल्टीट्यूड पैट्रोलिंग शैल्टर निर्माण हेतु रु॰ 20.00 लाख ।

(कार्यवाही : प्रभागीय वनाधिकारी, नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क व मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार रु॰ 10640.00 लाख की संशोधित वार्षिक कार्ययोजना का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>कार्यसूची संचालन समिति–6.5:</u> उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2012–13 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की अधिसूचना के बिन्दु संख्या–7. (2) (घ) के अनुसार संचालन समिति के कार्यों में **प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखों का अनुमोदन** शामिल है। इस क्रम में उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्ष 2012–13 की ड्राफ्ट वार्षिक रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करते हुए वार्षिक रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी–उत्तराखण्ड कैम्पा)

<u>कार्यसूची संचालन समिति–6.6:</u> उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यों की Third Party Monitoring & Evaluation की अद्यावधिक स्थिति

समिति के संज्ञान में लाया गया कि वर्ष 2012–13 के APO के कार्यों की concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य माह जून व जुलाई, 2013 में करने हेतु सूचीबद्ध किए गये संस्थाओं एवं व्यक्तिगत सलाहकारों को सौंपा जा चुका है। किन्तु उत्तराखण्ड में अतिवृष्टि/आपदा के मद्देनजर उक्त कार्य को सम्बन्धित प्रभाग की सुविधानुसार अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य माह सितम्बर से अक्टूबर, 2013 के मध्य पूर्ण कर रिपोर्ट उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु सलाहकारों को अवगत कराया जा चुका है।

समिति उत्तराखण्ड कैम्पा की concurrent अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की उपरोक्तानुसार अद्यावधिक स्थिति से अवगत हुई तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के observations पर क्रियान्वन अभिकरणों के स्तर पर गुणवत्तायुक्त कार्य सुनिश्चित करने हेतु विभागीय सक्षम स्तरों से आवश्यक दिशा–निर्देश व निरीक्षण आदि को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गये।

(कार्यवाही : प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, प्रमुख वन संरक्षक–वन पंचायत, प्रमुख वन संरक्षक–परियोजनाएं, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमाऊं एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैम्पा तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

<u>कार्यसूची संचालन समिति 6.7:</u> उत्तराखण्ड वन विभाग स्तर पर ई–ग्रीन वॉच को लागू करने के सम्बन्ध में

समिति के संज्ञान में लाया गया कि कैम्पा के कार्यों सहित वन विभाग के अंतर्गत किए जा रहे स्थल विशिष्ट के कार्यों को ई–ग्रीन वॉच पोर्टल में upload कर ऑनलाइन मॉनीटर करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के

स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। ई–ग्रीन वॉच की 5 राज्यों यथा–आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम व त्रिपुरा में पाइलेटिंग का कार्य किया जा चुका है। उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2013–14 में ई–ग्रीन वॉच को लागू किया जाना है। अक्टूबर, 2013 से वन विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत किए जा रहे स्थल विशिष्ट के कार्यों को आवश्यक रूप से ई–ग्रीन वॉच में अपलोड किया जाना है। e-green watch का Operation Manual एवं GPS Manual related to SOP of e-green watch उत्तराखण्ड वन विभाग की website पर उपलब्ध है।

मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰ द्वारा ई–ग्रीन वॉच को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए गढ़वाल जोन के प्रत्येक वन प्रभाग के दो सम्बन्धित कार्मिकों को दिनांक 05.10.2013 से 08.10.2013 (4 दिन) का प्रशिक्षण एफ॰आर॰आई॰ व एफ॰एस॰आई॰, देहरादून में दिलाया जा चुका है।

e-green watch को उत्तराखण्ड वन विभाग में लागू किये जाने की उपरोक्त अद्यावधिक प्रगति से समिति अवगत हुई तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में समयान्तर्गत ई–ग्रीन वॉच को उत्तराखण्ड वन विभाग में लागू करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन एवं आई॰टी॰, प्रमुख वन संरक्षक–वन्य जीव, मुख्य वन संरक्षक–गढ़वाल व कुमांऊ तथा समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक व कार्यान्वयन अभिकरण/वन प्रभाग)

कार्यसूची संचालन समिति 6.8: कैम्पा निधि से अर्जित ब्याज राशि से फील्ड वाहन क्रय के सम्बन्ध में :

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत फील्ड स्तर पर परिणामयुक्त मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के कार्य को गति प्रदान करने एवं प्रभावी बनाने हेतु मुख्य वन संरक्षक एवं विभागीय सचिव सहित उच्च स्तर के अधिकारियों को 25 फील्ड वाहन कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से (यथा–स्कॉर्पियो अथवा समतुल्य) उपलब्ध कराने हेतु रु॰ 200.00 लाख की धनराशि को स्वीकृत करते हुए दिनांक 13.03.2013 को संचालन समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई तथा प्रथम चरण में 6 फील्ड वाहन DGS&D की प्रचलित दरों पर क्रय करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सहित संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। उक्त 6 वाहन क्रय का कार्य प्रगति पर है। शेष 19 वाहन क्रय किए जाने प्रस्तावित हैं।

समिति द्वारा कैम्पा निधि पर अर्जित ब्याज राशि से उपरोक्त 19 वाहनों के क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नियमानुसार वाहन क्रय हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन)

कार्यसूची संचालन समिति 6.9: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त बिन्दु:

6.9.1 समिति के संज्ञान में सदस्य–सचिव द्वारा यह तथ्य सामने लाया गया कि दिनांक 16.05.2011 को संचालन समिति द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत स्वीकृत पदों की ToR में open market से प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के आधार पर कुशल कार्मिकों के चयन हेतु स्वीकृत qualification व experience की अनुकूलता के आलोक में आवश्यक संशोधन/परिवर्तन किए जाने आवश्यक हैं, साथ ही **Manager-social enterprise and enterprise development** के पदनाम को **Manager- Enterprise development** के पदनाम में परिवर्तन किया जाना अधिक व्यवहारिक है।

6.9.1.1 इस क्रम में संशोधन के प्रस्ताव का अवलोकन कर उक्त विषय पर चर्चा के उपरान्त सर्वप्रथम समिति द्वारा **Manager-social enterprise and enterprise development** के पदनाम को **Manager-Enterprise development** के पदनाम में परिवर्तन करने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

6.9.1.2 इसी क्रम में निम्नांकित तालिका–1 व तालिका–2 में दर्शित सृजित पदो के स्वीकृत qualification एवं experience क्रमशः में आंशिक परिवर्तन/संशोधन स्वीकृत किया गया जो निम्नानुसार है :–

6.9.1.2 (क) तालिका–1 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पदों – **(1) Manager-Natural Resource Management, (2) Manager-social enterprise and enterprise development, (3) Manager- Monitoring & Evaluation and Knowledge**

Management, (4) Accounts officer के लिए स्तम्भ–3 पर उल्लिखित स्वीकृत qualification के सापेक्ष स्तम्भ–4 पर उल्लिखित परिवर्तन हेतु अनुमोदन प्रदान किया, जो निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

Qualification तालिका–1

Sl. No.	Name of the Position	Approved Qualification by S.C on 16.05.2011	Revised Approved Qualification by S.C on 15.10.2013
1	2	3	4
1.	Manager-Natural Resource Management	• M.Sc. (Forestry/Botany) or P.G. in Natural resource management or equivalent. Candidates with post graduate diploma in forestry from II FM, Bhopal and/or Masters in Wild Life management/Science from wild life Institute of India will be preferred.	• At least 55% marks in M.Sc. (Forestry/Botany) or P.G. in Natural resource management or equivalent. Qualified Candidates with desirable qualifications from IIFM, Bhopal or wild life Institute of India preferred. • Proficiency in handling MS Office
2.	Manager-social enterprise and enterprise development	• BBA or Graduate in any discipline; and • MBA with specialization in operations or Master in social Entrepreneurship/Rural Development or MBA Rural Development or equivalent.	• At least 55% marks in MBA with specialization in Marketing or Master in Rural Development or MBA Rural Development or PG in Agribusiness or M.Sc. in Agriculture/Horticulture. • Proficiency in handling MS Office.
3.	Manager-Monitoring & Evaluation and Knowledge Management	• Graduate with major in Mathematics, or statistics or economics, or commerce or equivalent and Master degree in social sciences or Communications or MBA operations or equivalent with more than 70% marks.	• Graduate with major in mathematics, or statistics or economics, or equivalent with 55% marks and, • Master degree in Social sciences or Mass communications or Economics or Statistics or equivalent with at least 55% marks. • Proficiency in handling MS Office specially MS excel
4.	Accounts officer	• Graduate in any discipline and • Post graduate in commerce with at least 60% marks or MBA Finance with more that 65% marks or intern ICWAI or ICAI or ICSI.	• P. G. in Commerce with minimum 55% marks or MBA finance with graduation in Commerce with minimum 55% marks in both, or Inter ICWAI/Inter ICAI. • Proficiency in handling MS Office especially MS excel

6.9.1.2 (ख) उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित तालिका–2 के स्तम्भ–2 में उल्लिखित पद – Manager-social enterprise and enterprise development हेतु स्तम्भ–3 पर उल्लिखित स्वीकृत experience के सापेक्ष तालिका के स्तम्भ–4 पर उल्लिखित परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान किया गया; जो निम्नानुसार है :–

Experience तालिका–2

Sl. No.	Name of the Position	Approved Experience by S.C on 16.05.2011	Revised Approved Experience by S.C on 15.10.2013
1	2	3	4
1	Manager-social enterprise and enterprise development	Preferably 7 years work experience (3 years in mountain areas) in providing technical know how to farmers using participatory techniques in areas like	Minimum 7 years work experience (3 years in mountain areas) in providing of technical and business development services to the rural

		agriculture, horticulture, animal husbandry, forestry, soil & water conservation, energy conservation, minor irrigation, aromatic and medicinal plants including NTFP & eco tourism, etc.	community institutions in areas like agriculture, horticulture, animal husbandry, forestry, soil & water conservation, energy conservation, minor irrigation, aromatic and medicinal plants including NTFP & eco tourism, etc.

उपरोक्त अनुमोदन के साथ–साथ सभी पदों के लिए experience में preferably शब्द के स्थान पर minimum शब्द रखे जाने का समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। सृजित पदों को संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर शीघ्र भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा)

6.9.2 प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के अंतर्गत वन विभाग के मुनिकीरेती, अगस्तमुनि, भवाली स्थित वन विश्राम गृहों के मरम्मत/जीर्णोद्धार का प्रस्ताव रखा गया।

उपरोक्त पर चर्चा उपरान्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों से तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही : अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन तथा सम्बन्धित वन संरक्षक एवं प्रभागीय वनाधिकारी)

सभी सदस्यों के प्रति बैठक में प्रतिभाग करने के लिए अपना बहुमूल्य सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सदस्य–सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करने के उपरान्त उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति की पंचम बैठक सम्पन्न हुई।

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–
संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

5 मन्दिर मार्ग, वसन्त विहार एन्कलेव, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2761077 ई–मेल: ceoukcampa@gmail.com,
Website : www.ukcampa.org

पत्रांक– 515/13–2(6)/2012–13 दिनांक, देहरादून, 30 अक्टूबर 2013

प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा. वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा. वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा. नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

30/10/13
(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः— 515 (1)/13—2(6)/2012—13 दिनांकित।

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष—संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव—नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव—वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (मध्य क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय—लखनऊ।
9. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य—संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

30/10/13

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

पत्रांकः— 515 (2)/13—2(6)/2012—13 दिनांकित।

प्रतिलिपि :—

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी—एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उप निदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।
9. अनुभाग अधिकारी, वन एवं पर्यावरण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन।

30/10/13

(ज्योत्सना सितलिंग)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।